राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प. 1 (1) वित्त/सावितेनि/2007 जयपुर, दिनांक : 29-3-2012
परिपत्र संख्या : 09/2012

परिपत्र

विषय : **e-procurement प्रणाली द्वारा खरीद प्रक्रिया हेतु।**

वित्त विभाग द्वारा परिपत्र संख्या 2/2012 दिनांक 27.01.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त राजकीय विभाग व स्वायत्तशासी संस्थानों में दिनांक 01.04.2012 से e-procurement के माध्यम से रू. 50 लाख से अधिक की खरीद के निर्देश जारी किए गए थे। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा GF and AR Part-II के नियम 38(बी) में संशोधन आदेश जारी किये जा चुके है।

इसी अनुरूप समस्त स्वायत्तशासी संस्थान/स्थानीय निकाय/बोर्ड/निगम/पंचायत समिति/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनी/सहकारी संस्थाएँ भी उनके संविधान के अन्तर्गत नियमों में संशोधन 15 दिवस में कराये जाने की व्यवस्था भी करावें।

इस संबंध में राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समस्त विभागों/संस्थानों हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों/ठेकेदारों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करवाई जा चुकी है। जिन संस्थानों द्वारा उक्त सुविधा का लाभ अब तक नहीं लिया है वे e-procurement प्रक्रिया लागू कराने के साथ-साथ प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त कर लेवे तथा इस हेतु Digital Signature विभाग के संबंधित अधिकारी/फर्मों के भी पंजीबद्ध करवायें जाने चाहिए। उक्त सुविधा के एवज में रू. 50 लाख से अधिक के टेण्डर कराने की दशा में RISL द्वारा निर्धारित Digital Signature cost व processing charges का भुगतान भी उन्हें देय होगा। इस हेतु संस्थान State e-procurement Portal का उपयोग भी टेण्डर प्रक्रिया हेतु सम्पादित करा सकेगा।

अतः समस्त स्वायत्तशासी संस्थान/बोर्ड/निगम/स्थानीय निकाय/पंचायत समिति/राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कम्पनी/सहकारी संस्थाएँ उक्त निर्देशों के अनुसार स्वयं के वित्तीय नियमों में सक्षम स्तर पर अनुमोदन/ संशोधन कराते हुए उक्त नियमों को तुरन्त प्रभावी करें।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव वित्त
(बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
9. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
10. पंजीयक, सहकारी समितियां को अधीनस्थ संस्थाओं में लागू कराने हेतु।
11. सचिव, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एन्टरप्राईजेज को अधीनस्था संस्थाओं में लागू कराने हेतु।
12. समस्त स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बोर्ड को पालनार्थ ।
13. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
14. समस्त कोषाधिकारी
15. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
16. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
17. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
18. सिस्टम एनालिस्ट., वित्त विभाग को प्रेषित कर लेख है कि वित्त (समन्वय) विभाग के आदेश संख्या प.17 (1) वित्त (समन्वय)/04 दिनांक 22.6.2004 के क्रम में इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(उर्मिला जोशी)
संयुक्त सचिव